कार्यवृत्त

शुक्रवार, 26 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 17 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड–26
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (क) के अल्पसूचित प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–3 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर काजी निजामुद्दीन तथा चौ0 यशवीर सिंह 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से स्थान ग्रहण किए जाने को कहा गया। तदुपरान्त उपर्युक्त दोनों सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

श्री किशोर उपाध्याय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा दो ही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते है। श्री अध्यक्ष से व्यवस्था दिए जाने की मांग की।

नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :–

1. श्री सुरेन्द्र राकेश (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में।
2. श्री प्रेमानन्द महाजन (पढ़ी हुई मानी गई)	उत्तरांचल वन विकास निगम पूर्वी कालाढूंगी (नैनीताल) में हो रहे नियम विरूद्ध एवं मनमाने कार्यो के सम्बन्ध में।
3. श्री गणेश जोशी	देहरादून जनपद के अन्तर्गत जिला आपूर्ति कार्यालय में एक ही व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति की फोटो पर अलग–अलग नाम व पते पर फर्जी राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री चन्दन राम दास	बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र के गरूड़ में उ0मा0वि0 सिरकोट के प्रान्तीकरण एवं उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 16 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 18 से 20 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>जुलाई, 2009</u>

18 (शनिवार) अवकाश।

19 (रविवार) अवकाश।

20 (सोमवार) **विधायी कार्य**

1. उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। **(पन्द्रह मिनट)**
2. वित्तीय वर्ष, 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

3. उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा। **(एक घण्टा)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्री प्रीतम सिंह की है, जो प्रदेश के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/स्वयं सेवकों जिन्हें निकाल दिया है, को पुनः ब्लाक स्तर/जिला स्तर पर समायोजित करने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री राजेश जुवांठा की है, जो दिनांक 13 जुलाई, 2009 को डाकपत्थर में सड़क दुर्घटना में घायल छात्रा के समर्थन में वाहन मालिक के विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करने तथा छात्र-छात्राओं के विरूद्ध अज्ञात रूप से मुकदमों को समाप्त करने के सम्बन्ध में हैं। इन सूचनाओं में से कोई भी सूचना का विषय तात्कालिक नहीं है और नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने योग्य नहीं हैं। श्री अध्यक्ष ने संगत नियमों के अन्तर्गत सूचना देने के निर्देश दिये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई।

दिनांक 27 फरवरी, 2009 को सदन में दिये गये बयान के द्वारा श्री तनवीर खाँ उचित दर विक्रेता, सुल्तानपुर को निलम्बित करने पर भी आज की तिथि में भी दुकान का संचालन करने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद तथा श्री हरिदास ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

वेतन विसंगतियों के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में राजस्व पुलिस (पटवारी-अनुसेवक) द्वारा पुलिस कार्यों का बहिष्कार किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 व 27 नवम्बर, 2007 को नौलीगांव के नजदीक नौली बाजार, गैरसैण विकास खण्ड में गडोत रामगंगा नदी, कालीमाटी रामगंगा नदी तथा महलचौरी काली नदी पर झूला पुलों के निर्माण की निविदायें गलत तरीके से आमन्त्रित किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में कार्यरत प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों के भुगतान विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री राजेश जुवांठा ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को समय पर खाद्यान्न न उपलब्ध किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज-नानकमत्ता व जनपद नैनीताल के चोरगलिया थाना क्षेत्र के गांवों की देवा नदी से बाढ़ सुरक्षा कार्यो को न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल ने अपने विचार व्यक्त किए। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष ने श्री किशोर उपाध्याय द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में कौल एवं शकधर की पुस्तक संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के अध्याय-19 में पृष्ठ-479 का उल्लेख करते हुए सूचित किया कि ''उस सदस्य को, जो प्रश्न सूची में सम्मिलित अपना प्रश्न पूछता है, मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर दिये जाने के बाद, दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। इसके उपरान्त, यदि किसी दूसरे सदस्य का नाम, उसी प्रश्न के लिए प्रश्न सूची में सम्मिलित है, तो उसे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। तत्पश्चात्, कोई भी सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, मूल प्रश्न और उसके उत्तर से उत्पन्न कोई अनुपूरक प्रश्न, किसी तथ्यगत विषय के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। अनुपूरक प्रश्न संक्षिप्त, सुस्पष्ट तथा मूल प्रश्न की विषय वस्तु के दायरे में होने चाहिए। जब अनुपूरक प्रश्न सीधा मूल प्रश्न से उत्पन्न न हुआ हो, तो अध्यक्ष मंत्री को यह निदेश दे सकता है कि सदस्य को लिखित रूप में जानकारी भेज दी जाए। कोई भी सदस्य यह दावा नहीं कर सकता कि किसी प्रश्न विशेष के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने का उसका अधिकार है। यह निर्णय करना अध्यक्ष के विवेकाधिकार में है कि वह किसी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुलाना चाहता है। सबसे पहले उस सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है, जिसने मूल प्रश्न की सूचना दी हो, और उसे भी जिसका नाम प्रश्न सूची में साथ जुड़ा हो। जब तक किसी अन्य दल/ग्रुप से कोई और सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने वाला न हो, तो मूल प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य तथा जिस सदस्य का नाम प्रश्न सूची में साथ में जुड़ा हो, द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछ लिये जाने के पश्चात्, उसी दल/ग्रुप के एक से अधिक सदस्य को, सामान्यतः अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन यह निर्णय करना अध्यक्ष के विवेकाधिकार में है कि वह सदस्यों को कब और किस क्रम से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए बुलाएगा। किसी प्रश्न विशेष पर कितने अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। सामान्य तौर पर बहुत अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने को हतोत्साहित किया जाता है।''

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के संगत नियमों के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति, जिसमें समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्राविधान है, के वर्ष, 2009-2010 में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में, माननीय सदस्यगणों को नामित करने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :-

श्री दिनेश अग्रवाल तथा
श्री प्रीतम सिंह।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही 1 बजकर 53 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :-
डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष,
चौ0 यशवीर सिंह,
श्री अनिल नौटियाल,
श्री नारायण पाल,
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत,
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत तथा
श्री मदन कौशिक।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-66, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री केदार सिंह रावत ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब प्रदेश के सर्वोच्च सदन की कार्यवाही गतिमान हो और माननीय सदस्यों का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक हो, ऐसी अवस्था में उसी समय जिलों के अन्दर बी0डी0सी0 तथा ऐसी बैठकें आहूत किया जाना जिसमें सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हो। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से आदेश हो जाय कि सत्र के दौरान ऐसी बैठक न बुलाई जाय।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्र आहूत के मध्य सभी बैठकें जिसमें सदस्यों की उपस्थिति हो, वे निरस्त समझी जाएंगी।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा आगे जारी हुई :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जिला नैनीताल में उत्तराखण्ड का कोटा दुगुना किया जाय ताकि युवाओं में सेना में अधिकारी बनने की रूचि बढ़ सके।''

श्री चन्दन राम दास ने अपना भाषण पूरा किया।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री चन्दन राम दास द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन की अनुमति से वापस हुआ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित **संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी** :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित की जाय।''

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री करन मेहरा के भाषण से आगे जारी हुई।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत तथा
श्री गोपाल सिंह राणा।

श्री गोपाल सिंह राणा के भाषण समाप्त करते ही विशिष्ट दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा नारे लगाते हुए पर्चे फैंके गये।

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री बृजमोहन कोटवाल के भाषण से पुनः आगे जारी हुई।

श्री हरभजन सिंह चीमा ने सदन में पर्चे फेके जाने की घटना की निन्दा करते हुए, सख्त कार्यवाही किए जाने के लिए श्री अध्यक्ष से व्यवस्था दिए जाने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट आने के बाद सदन जो भी निर्णय लेगा, तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी।

तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री तसलीम अहमद के भाषण से पुनः आगे जारी हुई।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अमृता रावत
श्री शेर सिंह,
श्री सुरेश चन्द जैन,
कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' तथा
श्री गणेश जोशी।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री केदार सिंह रावत द्वारा बी0डी0सी0 की मोरी में बैठक के विषय में जो प्रश्न उठाया गया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया कि दिनांक 18 जुलाई, 2009 को विकास खण्ड की बैठक जो मोरी में प्रस्तावित थी, को निरस्त कर दिया गया।

तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री हरिदास के भाषण से पुनः आगे जारी हुई।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री रणजीत सिंह रावत,
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
श्री जोत सिंह गुनसोला तथा
श्री अजय टम्टा।

चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज दिनांक 17 जुलाई, 2009 को अपराह्न 04:54 बजे जब माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा ने वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में अपना भाषण समाप्त किया और अध्यक्ष विधान सभा द्वारा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन कोटवाल का नाम पुकारा गया उसी वक्त विशिष्ट/राज्यपाल दीर्घा में उपस्थित एक व्यक्ति ने 'गैरसैंण नहीं और कोई मंजूर नहीं,' 'दीक्षित आयोग धोखा है।' 'पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए,' 'राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण, गैरसैंण, गैरसैंण,' 'माननीय सदन गैरसैंण स्थायी राजधानी अविलम्ब घोषित करो,' नारे लगाये तथा माननीय सदन में पर्चे फेंके। दीर्घा में तैनात रक्षक तथा अन्य विधान सभा रक्षकों ने तुरन्त ही उक्त व्यक्ति को अपने वश में करके विशिष्ट दीर्घा से हटा दिया। उक्त व्यक्ति को विशिष्ट दीर्घा से हटाने के पश्चात् मार्शल कार्यालय में लाया गया तथा उसकी तलाशी ली गई, उसके पास से विशिष्ट/राज्यपाल दीर्घा का प्रवेश पत्र संख्या-115, दिनांक 17 जुलाई, 2009 प्राप्त हुआ। पूछने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जय प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय, निवासी ग्राम कण्डोली, राजपुर रोड, देहरादून बताया। उक्त पास की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रवेश पत्र श्री बी0एस0 रावत के नाम से निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की संस्तुति पर जारी हुआ है। श्री जय प्रकाश उपाध्याय ने यह भी बताया कि उक्त पास श्री बी0एस0 रावत से विधान सभा आने से पूर्व लिया था तथा उसने उसी के आधार पर दीर्घा में प्रवेश किया।

श्री जय प्रकाश उपाध्याय ने सभा-मण्डप में नारे लगा कर तथा सदन में पर्चे फेंक कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया और माननीय सदन का अपमान किया है। श्री जय प्रकाश को इस समय मार्शल कार्यालय में विधान सभा रक्षकों की अभिरक्षा में बैठाया गया है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास, श्री अजय टम्टा, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री शहजाद, श्री ओम गोपाल, श्री गोपाल सिंह राणा तथा संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने जो विशिष्ट दीर्घा से नारे लगाते हुए तथा पर्चे फेंक कर इस सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने का प्रयास किया है और यह कृत्य सदन की अवमानना

का आधार बनता है, किन्तु ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, यद्यपि माननीय कुछ सदस्य इससे सहमत नहीं होंगे, परन्तु यदि सदन सहमत हो तो उस व्यक्ति को जो मार्शल की अभिरक्षा में है, उनकी अभिरक्षा को पर्याप्त दण्ड मानकर, उसको रिहा कर दिया जाय। इसके साथ ही वह मार्शल को यह निर्देश देते हैं कि विशिष्ट दीर्घा में व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित किये बगैर प्रवेश की अनुमति न दी जाय। इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय। सभी माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष के विचार से सहमति व्यक्त की। श्री अध्यक्ष ने मार्शल को निर्देश दिये कि अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति को रिहा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं प्राप्त हुई है।

जनपद हरिद्वार के ग्रामों में फुंके (खराब पड़े) हुए ट्रान्सफार्मर को बदलने व लेकर जाने व लाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक के सिकरोड़ा क्षेत्र को फल पट्टी घोषित करने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

मैसर्स वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गंगापुर, काशीपुर को 4000 के0वी0ए0 विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही में पावर कारपोरेशन को 85.22 लाख की क्षति करने पर जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में जट सिख-जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है या नहीं, इस स्थिति को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 7 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।